

झारखण्ड सरकार,  
जल संसाधन विभाग।

का. आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) राँची-05/13

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री उमेश कुमार सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, राँची द्वारा धुर्वा स्थित गोदाम एवं कर्मशाला में पड़े कण्डम एवं अनुपयोगी सामग्रियों के निलामी में बरती गयी अनियमितता का आरोप प्रथम द्रष्टया प्रमाणित म्पये जाने के कारण विभागीय आदेश सं०- 4215, दिनांक- 27.07.13 के द्वारा असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली के नियम 49 A के अंतर्गत निलंबित करते हुए विभागीय संकल्प सं०-7181, दिनांक 30.11.13 द्वारा उनके विरुद्ध नियम 55 की तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

उक्त विभागीय कार्यवाही में जाँच पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम का सम्यक समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। उक्त समीक्षोपरान्त श्री सिंह, कार्यपालक अभियंता (सम्प्रति निलंबित) को उनके कालमान वेतन के निचला स्तर पर अवनति करने का दण्ड अधिरोपित करने हेतु द्वितीय कारण पृच्छा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

2. एतद् द्वारा श्री सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है। चूँकि आरोप प्रमाणित है ऐसे में इन्हें निलंबन अवधि का निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कोई लाभ देय नहीं होगा। द्वितीय कारण -पृच्छा की कार्रवाई अलग से की जा रही है।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)  
सरकार के उप सचिव (नि०)

ज्ञापांक

4538

राँची, दिनांक 24-8-15

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव (प्रभारी) प्रशाखा-4, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, याँत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची/मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री उमेश कुमार सिंह, कार्यपालक अभियंता, याँत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)  
सरकार के उप सचिव (नि०)